देश में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए दीव में उठाए गए कई एहतियाती कदम
और इस संबंध में जारी किए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

दीव, दिनांक 21/03/2020 :- विश्व में फैल रही कोरोना यानि **कोविड-19 वैश्विक महामारी** को देखते हुए भारत सरकार द्वारा देश की जनता की सुरक्षा हेतु कई आवश्यक दिशा-निर्देश /एडवाइजरी जारी किए गए हैं । इसके अनुसरण में दीव प्रशासन द्वारा इस महामारी के फैलाव को रोकने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं । इसके तहत प्रशासन द्वारा होटल, विद्यालयों, सार्वजनिक सभाओं, मंदिरो, चर्चों तथा मस्जिदों एवं दीव के सभी बीचों को 31 मार्च,2020 तक बंद कर दिया गया है । सरकारी अस्पताल, दीव एंव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोघला में अस्थायी रूप से आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं । प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी कार्यालयों, बस स्टैंडों, बसों एवं ऑटोरिक्शा तथा अन्य यातायात साधनों को सेनेटाईज किया जा रहा है । आमजनता की इस वैश्विक महामारी से संबंधित शंकाओं और उसके निदान हेतु आपदा प्रबंधन सेल, समाहर्तालय, दीव में एक 24x7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है । नियंत्रण कक्ष का संपर्क न0. (02875)-252111 एवं 252444, केन्द्र सरकार हेल्पलाईन न0. +91-11-23978046, केन्द्र सरकार टॉल फ्री न0. 1075, जिला टॉल फ्री न0. 104 एवं ईमेल आईडी सं0. ncov2019@gmail.com है ।

वैश्विक महामारी की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए आज, 21 मार्च को दीव प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं जिसके अंतर्गत दीव मे चलनेवाले सभी होटलों, बारों एवं रेस्टॉरेंटों, सभी शराब की दुकानों और डिस्टलरी को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया है । कोरोना से दीव जिला को सुरक्षित रखने हेतु एहतियातन दीव से वणांकबारा तक चलनेवाली सारथी बस का 5 फेरे से घटाकर 2 फेरे कर दिए गए हैं ताकि लोगों की अधिक आवाजाही को रोका जा सके। घोघला चेक पोस्ट से दीव बस स्टैंड तक विशेष बस चलाने का भी निर्णय लिया गया है । दीव के दोनों चेक पोस्टों को 31 मार्च, 2020 तक बाहर से आनेवाले लोगों के लिए बंद कर दिया गया है । इसके साथ ही शहर के सभी खुदरा दुकानों सहित बाजार को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं । परंतु इस दौरान मेडिकल स्टोर, किराने की दुकानें तथा सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी । ये सभी कदम दीव में जनता की सुरक्षा को ध्यान मे रखकर उठाए गए हैं ।

प्रशासन आपसभी से अपील करता है कि वैश्विक महामारी से निजात पाने **करने योग्य और न करने योग्य** उपायों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए दीव को सुरक्षित रखने में मदद करें ।

दीव प्रशासन ने सभी दीववासियों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से खाद्य सामग्रियों या अन्य जरूरत वाली सामग्रियों की जमाखोरी न करें । शहर में दवाखाना, किराना की दुकानें खुली रहेंगी । अनावश्यक रूप से अस्पतालों में भीड़-भाड़ करने से बचें । अभी हम कोरोना महामारी के फेज-2 में हैं और इसमें आतंकित होने की आवश्यकता नही है। अभी स्थिति उतनी भयावह नही है । जारी दिशा-निर्देशों और सुझावों को पालन करने पर हम इस वैश्विक महामारी से बच सकते हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने 22 मार्च को सुबह 7 से रात 9 बजे तक "**जनता कर्फ्यू**" का आह्वान किया है । इस "**जनता कर्फ्यू**" में सभी को सहयोग देने की अपील भी प्रशासन ने की है । आपका यह सहयोग देश की सेवा में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा । उठाए गए कदमों और सुझावों का पालन करनें पर आप स्वयं भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से सुरक्षित होंगे और दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रख सकेंगे ।